HRA Fin USIUA The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ੀ. 369] No.369] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2011/आषाढ़ 15, 1933

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2011/ASADHA 15, 1933

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 512(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1-5 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से 31-3-2012-तक कांडला पत्तन न्यास के बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और उन्हें उसी बोर्ड में अधिस्चित करती है :--

तालिका

- श्री शानाभाई जेड. पटेल,
 45 सारथी वी-3, ड्राईव के पीछे,
 गोयल इंटरसिटी के सामने, सुरधारा सर्किल,
 तलतेज, अहमदाबाद-380054
- श्री गिरीशचन्द्र के. परमार,
 19, कृष्णनगर सोसाइटी, कबाडी बाजार सं. 3,
 बहरमपुर के निकट, अहमदाबाद-380028
- श्री जहाँगीर खान ए, पठान, चन्द्रनगर सोसाइटी, बंगला सं. 1, पलेज, जिला - भरूच, गुजरात
- श्री मुरारी रामदवाल शर्मा,
 प्लॉट सं. 15, वार्ड 12/सी, गांधीधाम,
 कच्छ, गुजरात
- श्रीमती चन्द्रिकावेन चूड़ासमा,
 प्लॉट सं. 346, सेक्टर सं. 1,
 गांधीनगर-382001, गुजरात

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित ''अन्य हितों'' के प्रतिनिधि

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(!)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि

[फा. सं. पी टी-18011/10/2009-पी टी]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

4.

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2011

GS.R. 512(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of subction (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Governm ereby appoints the persons mentioned against serial number 1-5 in the Table below to be trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla with immediate effect till 31-3-2012 and notifies the same on the same Board, namely:-

TABLE

1,	Shri Shanabhai Z. Patel,	Representing Other Interest as envisaged under Section 3(1)(c) (i)
	45 Sarthi V-3, Behind Drive In, In front of	(7) of MPT Act, 1963
	Goyal Intercity, Surdhara Circle, Thaltej,	
	Ahmedabad -380054.	
2.	Shri Grishchandra K. Parmar,	Representing Other Interest as envisaged under Section 3(1)(c)(i)
	19, Krishnanagar Society,	(7) of MPT Act, 1963
	Near Kabadi Market No. 3, Baherampura,	
	Ahmedabad-380028.	
3.	Shri Jahangir Khan A. Pathan,	Representing Other Interest as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7)
	Chandranagar Society, Bunglow No. 1,	of MPT Act, 1963
	Palej, District Bharuch, Gujarat.	

Kutch, Gujarat. 5. Smt. Chandrikaben Chudasama, Plot No. 346, Sector No. 1, Gandhinagar-382001, Gujarat.

Shri Murari Ramdayal Sharma,

Plot No. 15, Ward 12/C, Gandhidham

Representing Other Interest as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963

Representing Other Interest as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963

> [F. No. PT-18011/10/2009-PT] RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secv.